बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 02.07.2025

थाना बारादरी जनपद बरेली

थाना बारादरी जनपद बरेली साइबर हेल्पडेस्क द्वारा पीड़िता के ऑनलाइन गलत ट्रान्जेक्शन होने से अज्ञात व्यक्ति के खाते में गयी सम्पूर्ण धनराशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये) को कराया गया वापस।

दिनांक 17.06.2025 को आवेदिका श्रीमती पूजा तिवारी पत्नी मोहित कुमार गुप्ता निवासी ए 502 रुद्राक्ष एपार्टमेन्ट डोहरा रोड थाना बारादरी जिला बरेली ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर शिकायत संख्या 23106250089061 गलत ट्रान्जेक्शन होने के कारण आवेदिका के 1,00,000/- (एक लाख रुपये) किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में चले जाने के सम्बन्ध में दर्ज करायी थी।

उपरोक्त शिकायत थाना स्थानीय पर प्राप्त होने पर थाने पर गठित साइबर हेल्पडेस्क त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण का संज्ञान लेकर साइबर क्राइम सेल जनपद बरेली से समन्वय स्थापित कर आवेदिका के गलत ट्रान्जेक्शन होने से Kotak Mahindra Bank के खाता संख्या 3947557378 में गयी सम्पूर्ण धनराशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये) आवेदिका के खाते में वापस कराये गये है।

वापस करायी गयी धनराशि का विवरणः-

1,00,000/- (एक लाख रुपये)

साइबर हेल्पडेस्क टीम का विवरणः –

1. उ0नि0 मोहित कुमार थाना बारादरी बरेली।
2. क0आ0 ग्रेड ए वीरपाल सिंह थाना बारादरी बरेली।

नोटः-किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि जानकारी साझा न करें। खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में 1930 पर कॉल अथवा साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

सतर्क रहे, जागरुक रहे । जागरुकता ही साइबर अपराध का बचाव है।